	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है – प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act त्रुटि सुधार इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ख.नं. 519/418 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम गांवडी में स्थित है 1998-99 में अप्रार्थी द्वारा कैचमेन्ट किया गया, जिसमें एक आंशिक मानचित्र बनाया गया था, उसमें प्रार्थीगण की कृषि आराजी दर्शायी गयी है, लेकिन प्रार्थीगण के कृषि आराजी के ख.नं. नक्शा ट्रेस में नहीं दर्शाये गये। जबकि उपरोक्त कैचमेन्ट से पूर्व जो नक्शा ट्रेस था, उसमें प्रार्थी के ख.नं. अंकित थे। लेकिन कैचमेन्ट करते समय जो नक्शा ट्रेस बनाया गया था उसमें उपरोक्त ख.नं. का उल्लेख तकनीकी आधार पर अंकन करने से रह गया, जिस नक्शा ट्रेस में दुरुस्त कर ख.नं. 519/548 अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि ख.नं. 519/548 की रकबा 0.16 हैक्टेयर ग्राम गांवडी में स्थित है	

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

उसका केचमेन्ट के बाद नक्शा ट्रेस में खसरा नं. अंकन कराए जाने के आदेश अप्रार्थी को दिए जावें।

* अप्रार्थी तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इस न्यायालय द्वारा यह प्रार्थनापत्र दिनांक 06.10.21 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त नहीं है तथा केचमेन्ट ब्लाक गांवडी वर्ष 1998-99 के दौरान सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 517/548 को केचमेन्ट के दौरान कई मिलान क्षेत्रफल में नया नम्बर कायम भी नहीं किया गया है। इस आधार पर इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार योग्य नहीं है।

* प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के निर्णय 06.10.21 के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

* न्यायालय ADC कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.07.2024 द्वारा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2021 अपास्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि निर्णय में विवेचित उक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद के राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शा आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बराबरी करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित किया जावे।

* रिमाण्ड प्रकरण नम्बर पर लेकर उभय पक्षकारान को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

* तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है।

* बहस उभयपक्ष सुनी गई।

* अपने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों

अधिकारी

का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा पत्रावली पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार बाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि -

→ मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2038-57 ग्राम गांवड़ी का ख.नं. 519/548 रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

→ नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 के अनुसार खाता नं. 185 ख.नं. 519/548 प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है।

→ मुताबिक निवासरत व्यक्तियों के खातेदारान, प्रार्थी खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है।

→ उक्त ख.नं. ग्राम गांवड़ी व किशनपुरा नदिया के कांकड़ पर स्थित होने के कारण, उक्त ख.नं. पर वर्तमान में किसके द्वारा काश्त की जा रही है, जानकारी किया जाना सम्भव नहीं है।

→ दौरान कैचमेन्ट ब्लाक गांवड़ी वर्ष 1998-99 में सेटलमेन्ट ख.नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

519/548 का नया नम्बर कायम नहीं किया गया है।

→ वर्तमान समय हाल आनलाइन नक्शे तथा शीट में उक्त ख.नं. 519/548 अंकित है, जो प्रार्थी आवेदक के खाते दर्ज रिकार्ड है।

→ डिजीटेशन राजस्व रिकार्ड आनलाइन करते समय सेटलमेन्ट नक्शे द्वारा उक्त खसरा नम्बर का वर्तमान आनलाइन नक्शे में अंकन हो रखा है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उनके खाते की आराजी ख.नं. 519/548 रकबा 0.16 हैक्टेयर का कैचमेन्ट के बाद के नक्शा ट्रेस में अंकन कराया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि तहसील रिकार्ड आनलाइन करते समय दौरान डिजीटेशन ख.नं. 519/548 का अंकन राजस्व नक्शे में कर दिया गया है। तथा वर्तमान समय में हाल आनलाइन नक्शे तथा शीट में हस्तगत ख.नं. 519/548

का अंकन है।

उक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गई राहत प्रार्थीगण को दौरान संशोधन प्राप्त हो चुकी है तथा वर्तमान आनलाइन बकशी व शीट में ख.नं. 519/548 का अंकन हो चुका है। अत: प्रार्थनापत्र पर कोई अग्रिम आदेश अपेक्षित नहीं है।

किसी क्रियात्मक आदेश की अपेक्षा ना होने के कारण, पत्रावली दाखिल दफ्तर पर फैसल कुमार जानी जाकर, डाखिल दफ्तर हो।

2/5/25

उपखण्ड अधिकारी

का...

उपखण्ड अधिकारी